



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:-एफ 37(32)परावि/प्रशा.2/मंत्रा/स्था.पद./06/2022/795 जयपुर दिनांक 12.10.2022

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला परिषद-डूंगरपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, बारां,  
बाडमेर, सवाई माधोपुर एवं चुरू।

**विषय:-** मंत्रालयिक कर्मचारियों का स्थानान्तरण आदेश जारी करने बाबत।


उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके अधीन पंचायत समिति में कार्यरत निम्न मंत्रालयिक कर्मचारियों का स्थानान्तरण निर्देशित स्थान पर करते हुए विभाग को अवगत करावें।

क्र. सं.	नाम सर्व श्री / श्रीमती / सुश्री	पदनाम	कहा से	कहा को
1	मनमोहन	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	जिला परिषद डूंगरपुर	पं.स. चीखली, डूंगरपुर
2	मदन मोहन अग्रवाल	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	जिला परिषद अलवर से पं.स. कठूमर, अलवर स्थानान्तरणाधीन	निरस्त कर यथावत
3	मनमोहन यादव	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	पं.स. चिखली, डूंगरपुर	पं.स. सांगवाडा, डूंगरपुर
4	खुशीराम मीणा	वरिष्ठ सहायक	जिला परिषद जयपुर स्थानान्तरणाधीन	निरस्त कर यथावत पं.स. आमेर, जयपुर
5	जोगेन्द्र सिंह	वरिष्ठ सहायक	पं.स. धोद, सीकर	पं.स. पलसाना, सीकर
6	राजाराम शर्मा	वरिष्ठ सहायक	जिला परिषद बारां	पं.स. शाहबाद, बारां
7	राकेश कुमार	कनिष्ठ सहायक	ग्रा.प. बृसंगपुर पं.स. किशनगढबास, अलवर	ग्रा.प. जहारखेडा पं.स. उमरैण, अलवर
8	पवन कुमार सैन	कनिष्ठ सहायक	पं.स. गोविन्दगढ, जयपुर	पं.स. शाहपुरा, जयपुर
9	लक्ष्मणराम	कनिष्ठ सहायक	पं.स. बालोतरा, बाडमेर	पं.स. समदडी, बाडमेर

10	मदन लाल शर्मा	कनिष्ठ सहायक	ग्रा.प. कोडयाई पं.स. बौली, सवाई माधोपुर	पं.स. बामनवास, सवाई माधोपुर
11	रामचन्द्र	कनिष्ठ सहायक	पं.स. सुजानगढ, चूरु	पं.स. रतनगढ, चूरु
12	मनोज शर्मा	कनिष्ठ सहायक	जिला परिषद जयपुर	पं.स. तूंगा, जयपुर


**यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।**

1. उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन सही नाम से है।
2. यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/ अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है। तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे।
3. यदि किसी कार्मिक की परीविक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे।
4. यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किसी अन्य कार्मिक के स्थान पर किया जा रहा है, तो प्रभावित कार्मिक को अन्य निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित किया जावे।
5. यदि कोई कार्मिक निलंबित चल रहा है तो उसका स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे।

  
 12/12/20  
 ( राजेश वर्मा )  
 अतिरिक्त आयुक्त एवं  
 संयुक्त शासन सचिव(1)

**प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपंरावि।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्राविपंरावि।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदया, ग्राविपंरावि जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदया, पंचायती राज विभाग जयपुर।
6. सम्बन्धित कार्मिक को पालनार्थ।
7. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

  
 12/12/20  
 अतिरिक्त आयुक्त एवं  
 संयुक्त शासन सचिव-1